उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला योजना)

दिनांक 05.12.2020 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT, रामगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न DMFT न्यास परिषद् की बैठक की कार्यवाही

रामगढ़ DMFT न्यास परिषद् की बैठक COVID-19 के मद्देनजर Google Meet (https://meet.google.com/nvy-hyxf-qrm) के माध्यम से दिनांक 05.12.2020 को समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत की गयी, जिसमें माननीय सांसद, विधायक, जिला परिषद् अध्यक्ष, मुखियागण एवं जनप्रतिनिधि Online उपस्थित हुए।

उपस्थिति Online एवं पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु उप विकास आयुक्त को निदेशित किया गया।

उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को DMFT अन्तर्गत PMKKKY मार्ग–दर्शिका, राशि की उपलब्धता, कार्यान्वित योजना की प्रगति, अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं की सूची एवं बैठक का एजेण्डा आदि से संबंधित तैयार किये गये Presentation को TV के माध्यम से दिखाया गया।

1. **पूर्व न्यास परिषद् की बैठक की कार्यवाही पर चर्चा**

उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा दिनांक 01.11.2019 को सम्पन्न न्यास परिषद् की बैठक की कार्यवाही को पढ़ कर सुनाया गया, जिसे न्यास द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

2. **PMKKKY मार्ग–दर्शिका**

उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा बैठक में उपस्थित सभी न्यास परिषद् के सदस्यों को PMKKKY मार्ग–दर्शिका की विस्तृत जानकारी दी गयी। इसमें उल्लेखित योजना चयन की प्रक्रिया, प्राथमिकता, अनुश्रवण आदि पर विस्तृत चर्चा की गयी।

3. **DMFT अन्तर्गत राशि की उपलब्धता**

DMFT मद में उपलब्ध राशि एवं स्वीकृत योजनाओं के दायित्व (Liability) भुगतान की जानकारी उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा दी गयी, बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपलब्ध राशि से कार्यान्वित योजनाओं में दायित्व (Liability) का भुगतान किया जाय एवं अनुमोदित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन कराया जाय।

4. **वार्षिक कार्य–योजना (Annual Report)**

उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा DMFT की वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 का Annual Report न्यास परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु पटल पर रखा गया, जिसे न्यास द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

5. **अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report)**

उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में आय एवं व्यय संबंधी Audit Report न्यास परषिद् के समक्ष अनुमोदन हेतु पटल पर रखा गया, जिसे न्यास द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। जानकारी दी गयी कि चयनित एजेन्सी Anjali Jain & Associates C.A. Ranchi द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 का अंकेक्षण कार्य किया जा रहा है। न्यास द्वारा निदेश दिया गया कि एजेन्सी द्वारा अंकेक्षण कार्य ससमय पूरा कराकर आगामी DMFT की प्रबंधकीय एवं न्यास परिषद् की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

6. खनन प्रभावित (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) क्षेत्रों का अनुमोदन

DMFT प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित सर्वे के आधार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों/पंचायतों/वार्डो की सूची, को अनुमोदन हेतु उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा पटल पर रखा गया तथा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी, जिसे सर्वसम्मति से न्यास द्वारा अनुमोदित किया गया।

माननीय सांसद महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि इसकी सूची District Website पर Upload करें तथा सभी संबंधित माननीय जनप्रतिनिधियों/मुखिया आदि को ई–मेल का माध्यम से उपलब्ध करावें, ताकि यदि कोई आपत्ति हो तो इसका निराकरण किया जा सके।

7. उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा पेयजलापूर्ति की पूर्ण कुल 03 योजनाओं की निम्नलिखित सूची, जिनका आवश्यकतानुसार स्थल–परिवर्तन किया गया, को अनुमोदन हेतु बैठक में रखा गया :–

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त प्रस्ताव का पत्रांक
1	सोलर आधारित जलापूर्ति योजनाओं में 132 योजनाएँ, जिसका स्थल परिवर्तन कर पूर्ण किया गया है।	154 दिनांक 20.02.2020
2	Community toilet for Gents & Ladies (1+1 No. Each) and Provision at DT and Solar Paneled and pumps, Soak-pit का निर्माण कार्य, जो पूर्व में HSC रजरप्पा में कार्यान्वित किया जाना था, उसका स्थल परिवर्तन करके HSC नेमरा में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव का अनुमोदन।	85/जि0यो0 दिनांक 08.02.2020
3	उच्च प्रवाही नलकूप, सोलन पैनल एवं शौचालय निर्माण जो पूर्व में PHC सोसो में प्रस्तावित था, उसका स्थल परिवर्तन HSC कुल्ही में करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।	313/जि0यो0 दिनांक 08.05.2020

न्यास द्वारा सर्वसम्मति से उक्त योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

8. उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा DMFT प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित एवं पूर्व में स्वीकृत पेयजलापूर्ति की कुल 03 योजनाओं को अनुमोदन हेतु बैठक में रखा गया, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र.	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश	प्राक्कलित राशि
1	उत्क्रमित उच्च विद्यालय बड़कीपोना चित्तरपुर के विद्यालय भवन में पेयजल एवं शौचालय निर्माण।	256/जि0यो0 दिनांक 21.03.2020	7,94,100.00
2	रेफलर अस्पताल, भरेचनगर, रामगढ़ में 200x165mm dia 180 meter depth HYDT का निर्माण, सबमरसिबुल मोटर पम्प एवं 100 लीटर क्षमता युक्त 02 पी0वी0सी0 टेंक अधिष्ठापन कार्य।	319/जि0यो0 दिनांक 09.05.2020	2,95,000.00
3	रामगढ़ जिला के सभी 06 प्रखण्डों में चापाकल मरम्मति एवं सड़े राईजर पाईप को बदलकर चालू करने की योजना।	331/जि0यो0 दिनांक 23.05.2020	67,84,271.00

न्यास द्वारा सर्वसम्मति से उक्त योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

उक्त योजनाओं से संबंधित चर्चा के क्रम में श्रीमती ममता देवी, माननीय विधायक, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र द्वारा बतालाया गया कि चापाकल मरम्मति/पाईप लाईन जलापूर्ति के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त होती है, जिसपर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ से वस्तुस्थित स्पष्ट करने का कहा गया। उनके द्वारा जानकारी दी गयी कि स्थानीय स्तर पर जल सहिया एवं कनीय अभियंताओं का Deputation किया गया है एवं उनका मोबाईल नम्बर आम जनता तथा जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया है। न्यास द्वारा निदेश

दिया गया कि WhatsApp Group के माध्यम से शिकायत का निराकरण एवं कार्यान्वित योजनाओं की जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय।

9. उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा पूर्व में DMFT प्रबंधकीय समिति एवं न्यास परिषद् से अनुमोदित वृहद ग्रामीण पेयजलापूर्ति की कुल 03 योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यकतानुसार प्राक्कलित राशि को पुनरक्षित किया गया है, में पुनरक्षित राशि के अनुमोदन हेतु योजनाओं की विस्तृत निम्नवत् विवरणी बैठक के समक्ष रखा गया। जो निम्नप्रकार है:–

1	Approval of revised estimate for Gobardarha Huhua water supply scheme sanctioned by Jharkhand govt. (Letter no. 14 (स्वी0) Dated 26-05-2017)	Previously approved amount = 2443.91 lakhs New revised estimated amount = 3150.76 lakhs Difference amount = 706.85 lakh
2	Approval of revised estimate for Katiya Gramin Water Supply Scheme sanctioned by DC, Ramgarh (Letter No. 386/Dev. Date 31-03-2017)	Previously approved amount = 345.637 lakhs New revised estimated amount = 466.670 lakhs Difference amount = 121.033 lakhs
3	Approval of revised estimate for Laiyo Gramin Water Supply Scheme sanctioned by Jharkhand govt. (Letter no. 25 (स्वी0) Dated 01-06-2017)	Previously approved amount = 563.237 lakhs New revised estimated amount = 665.850 lakhs Difference amount = 102.613 lakhs

न्यास द्वारा सर्वसम्मति से उक्त योजनाओं की पुनरक्षित राशि को अनुमोदित किया गया।

10. उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा DMFT प्रबंधकीय समिति की बैठक में अनुमोदित कुल 07 योजना, जो कि न्यास परिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में क्रियान्वित की जा रही है, को अनुमोदन हेतु बैठक में रखा गया। जिसकी विवरणी निम्न्वत् है:–

SL.	Block	SCHEME NAME	Sanctioned No.	Agency	Estimated Amount
1	Patratu	Katiya Gramin Water Supply Scheme 17-18	386/31.03.2017	DWSD	46667000.00
2	Patratu	Talatand Gramin Water Supply Scheme 17-18	386/31.03.2017	DWSD	45298100.00
3	Ramgarh	Construction of Library Bhawan in Ramgarh	916/05.10.2018	RDSD	7172000.00
4	Mandu	Development work of Kujju Market Complex of Mandu Block.	916/05.10.2018	RDSD	43243000.00
5	Chitarpur	Construction of first floor of yatri niwas in Rajrappa temple	1179/27.12.2018	BCD	3765800.00
6	Ramgarh	Laying of vitrified Tiles in Footpath in around Collectorate Campus, Ramgarh	164/13.02.2019	BCD	8911065.00
7	Mandu	Construction of staff-teacher quarter, kitchen and dining hall of Govt. ST residential school, Mandu	33/09.01.2019	ZILA PARISHAD	20415900.00

न्यास द्वारा सर्वसम्मति से उक्त योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

11. उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव के लिए कुल 06 योजनाओं, जिनका क्रियान्वयन किया गया, को अनुमोदन हेतु बैठक के समक्ष रखा गया। विवरणी निम्नवत् है :–

क्र.	योजना का नाम	राशि	स्वीकृत्यादेश
1	रामगढ़ छावनी परिषद एवं रामगढ़ नगर परिषद में COVID-19	4,00,000.00	299 / जि0यो0

	के मद्देनजर प्रभावित परिवार जिन्हें Food Grains/राशन/खाद्यान्न आदि की समस्या हैं एवं उन्हे अन्य किसी सरकारी योजना से लाभ प्राप्त नही हो रहा है, उन्हें तत्काल राहत पहुचाने की योजना।		दिनांक 24.04.2020
2	जिला आपुर्ति पदाधिकारी रामगढ़ को COVID-19 के अंतर्गत JSLPS द्वारा संचालित दीदी किचन के लिए चावल उपलब्ध कराने की योजना।	1,45,000.00	324/जि0यो0 दिनांक 15.05.2020
3	नजारत उप समाहर्ता, रामगढ़ द्वारा COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु क्रय किये गये Masks/Sanitizers के व्यय का भुगतान।	30,88,193.00	336/जि0यो0 दिनांक 29.05.2020
4	श्री जयंत सिन्हा, माननीय सांसद, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में COVID-19 के बचाव एवं रोकथाम के निमित्त क्रय किये गए 03 लेयर Masks की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता M/s National Co-operative Consumer Fed. of India Ltd. आदर्शनगर, कांके रोड, राँची को भुगतान।	5,51,250.00	317/जि0यो0 दिनांक 09.05.2020
5	COVID-19 हेतु Medical Equipment एवं Face mask जिसका क्रय सिविल सर्जन/नजारत उप समाहर्ता द्वारा किया गया है, उसका भुगतान DMFT मद से करने हेतु अनुमोदन।	31,12,614.00	346/जि0यो0 दिनांक 05.06.2020
6	COVID-19 अन्तर्गत JSLPS द्वारा संचालित दीदी कीचन के व्यय हेतु माह जून 2020 के लिए राशि का आवंटन।	23,00,400.00	399/जि0यो0 दिनांक 03.07.2020

न्यास द्वारा सर्वसम्मति से उक्त योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

12. दिनांक 11.11.2020 को सम्पन्न DMFT प्रबंधकीय समिति की बैठक में अनुमोदित कुल 24 योजनाएँ, जिनका क्रियान्वयन किया जाना है, की विस्तृत सूची उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा बैठक में रखी गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (अनुमानित)	प्रशासनिक स्वीकृति	अभ्युक्ति
1	रामगढ़ समाहरणालय के ब्लॉक "ए" एवं "बी" में High Speed Internet with Wi-Fi का अधिष्ठापन कार्य	15,95,537.00	575/जि0यो0 दिनांक 29.10.2020	
2	Covid Care Centres के लिए कुल 03 RO Water Purifer का क्रय एवं अधिष्ठापन कार्य	1,78,177.00	485/जि0यो0 दिनांक 03.09.2020	
3	उपायुक्त, रामगढ़ के गोपनीय शाखा कार्यालय के लिए क्रय किये गये सामग्रियों/उपस्करों के भुगतान	2,22,849.00	549/जि0यो0 दिनांक 08.10.2020	
4	उपायुक्त, रामगढ़ के कार्यालय के समक्ष Community Park का विकास कार्य।	–	–	
5	रामगढ़ ट्रेकर स्टैण्ड के समीप मार्केट विकास कार्य।	–	–	
6	रामगढ़ जिलान्तर्गत 100 नये आँगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण	9,58,00,000.00	–	सभी 06 प्रखण्डों में
7	जिला स्तरीय लाईब्रेरी के लिए फर्नीचर का क्रय	13,20,000.00	–	
8	जिला स्तरीय लाईब्रेरी के लिए पुस्तक क्रय	2,20,782.00	–	

9	जिला स्तरीय लाईब्रेरी संचालन हेतु संस्था चयन	–	–	स्थानीय निकाय को प्राथमिकता के आधार पर EOI द्वारा
10	Van Dhan Vikash Kendra (VDVKs) के स्थापना	25,00,000.00	–	
11	रामगढ़ जिलान्तर्गत 03 वर्ष से छोटे बच्चों के कुपोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु किये जाने वाले CRECHE Project	30,00,000.00	–	
12	रामगढ़ समाहरणालय परिसर में स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य	24,79,364.00	–	
13	रामगढ़ जिलान्तर्गत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए पेयजलापूर्ति संबंधी योजना	1,46,400.00 (Model Estimate)	–	
14	पतरातु प्रखण्ड अन्तर्गत कस्तूरबा विद्यालय, पतरातू में शौचालय एवं Water Supply संबंधित कार्य	2,77,600.00	–	
15	रामगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत कस्तूरबा विद्यालय, रामगढ़ के भवन का जीर्णोद्धार कार्य	44,72,000.00	–	
16	रामगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत कस्तूरबा विद्यालय, रामगढ़ के छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार कार्य	51,72,000.00	–	
17	गोला प्रखण्ड अन्तर्गत भैरवा जलाशय में मत्स्य पालन संबंधी योजना	2,45,58,000.00	–	
18	पतरातु प्रखण्ड अन्तर्गत नलकरी जलाशय में मत्स्य पालन संबंधी योजना।	98,23,200.00	–	
19	सदर अस्पताल, रामगढ़ के ब्लड बैंक के प्रथम तल पर भवन का विस्तार कार्य	34,18,000.00	–	
20	सदर अस्पताल, रामगढ़ परिसर में Steel Shed, Sitting Bench आदि का अधिष्ठापन कार्य	12,83,000.00	–	
21	सदर अस्पताल, रामगढ़ परिसर में Boundry wall एवं Pavers Block पथ का निर्माण कार्य	24,67,000.00	–	
22	माण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुरपा का जीर्णोद्धार कार्य	47,02,000.00	–	
23	अवर निबंधन कार्यालय, गोला का चाहरदिवारी निर्माण कार्य	14,16,000.00	–	
24	रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य (Phase-II)	58,29,223.00	–	

न्यास द्वारा सर्वसम्मति से उक्त योजनाओं को अनुमोदित किया गया।

13. <u>प्रस्तावित नयी योजनाएँ</u>

a) श्री जयंत सिन्हा, माननीय सांसद, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र द्वारा बैठक में सभी सदस्यों को जानकारी दी गयी कि जिले में ओभरब्रिज/अण्डर ग्राउण्ड पुल/रेल लाईन के ऊपर फुट ओवरब्रिज की योजनाओं का निर्माण कराया जाना अतिआवश्यक है, जिसे बैठक में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

इसी क्रम में श्री जयंत सिन्हा, माननीय सांसद, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 12.01.2020 द्वारा अनुशंसित योजनाएँ, जो रामगढ़ जिलान्तर्गत ओभरब्रिज/अण्डर ग्राउण्ड पुल/रेलवे लाईन से संबंधित है, जो निम्न प्रकार है :–

- पतरातु प्रखण्ड
  - रेलवे स्टेशन टोकी सूद हॉल्ट/पतरातु में ओभरब्रिज का निर्माण।
  - बरकाकाना जंक्शन में भुरकुण्डा के पास ओभरब्रिज का निर्माण।
  - पतरातु कुरसे में अण्डर ग्राउण्ड पुल का निर्माण।
- चितरपुर प्रखण्ड
  - चितरपुर, पोना रेलवे स्टेशन के निकट ओभरब्रिज का निर्माण।
- रामगढ़ प्रखण्ड
  - विकासनगर/रामगढ़ हनुमान मंदिर के सामने रेलवे लाईन के ऊपर फुट ओभरब्रिज का निर्माण।
- माण्डू प्रखण्ड
  - चैनपुर साईडिंग में ओभरब्रिज का निर्माण।
  - सेनडीहा रेल गेट के पास ओभरब्रिज का निर्माण।

समीक्षोपरान्त उपरोक्त योजनाओं को न्यास परिषद् द्वारा सैंद्धांन्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु DRM, East Central Railway से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने तथा प्राक्कलन/DPR निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया तथा निर्णय लिया गया कि रेलवे ओभरब्रिज/अण्डर ग्राउण्ड पुल/रेलवे लाईन आदि के संबंध में राज्य सरकार व रेलवे के मध्य Funding Contribution हेतु राज्य सरकार की लागू नीति/निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

b) उप विकास आयुक्त द्वारा DMFT अन्तर्गत अनुबंध पर चयनित एवं कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सा पदाधिकारियों का आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार तथा मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु रखा गया।

इस पर श्रीमती ममता देवी, माननीय विधायक, रामगढ़ विधानसभा द्वारा बताया गया कि उन्हें यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि उक्त चिकित्सकों द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया जा रहा है। अतएव उनके अवधि विस्तार के पूर्व उनकी आवश्यकता, Work Performance आदि का विधिवत् समीक्षा/जाँच कर ली जाय।

सिविल सर्जन, रामगढ़ द्वारा बतालाया गया कि सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षित एवं संतोषजनक कार्य किया जा रहा है तथा इनके द्वारा कार्य का मासिक प्रतिवेदन दिया जाता है, जिसकी समीक्षा प्रति माह की जाती है।

न्यास द्वारा सिविल सर्जन, रामगढ़ को निदेश दिया गया कि कार्यरत सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा किये जा रहे कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करें, जिसके आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सा पदाधिकारियों का अवधि विस्तार एवं मानदेय वृद्धि की जा सके।

c) उप विकास आयुक्त, रामगढ़ द्वारा जिले के विकास हेतु जनाकांक्षाओं एवं जनहित की अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु बैठक में रखा गया, विवरणी निम्नवत् है:–

क्र.	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अभ्युक्ति
i	रामगढ़ समाहरणालय सभागार (ब्लॉक "ए") के लिए माईक एवं साउण्ड सिस्टम के अधिष्ठापन कार्य।		
ii	रामगढ़ समाहरणालय परिसर में Pavers Block एवं Community Toilet का निर्माण।		
iii	रामगढ़ समाहरणालय के विभिन्न शाखाओं में कार्यालय कर्मियों के बैठने हेतु Partition निर्माण कार्य।		
iv	रामगढ़ समाहरणालय के चाहरदिवारी का रंग–रोगन एवं सोहराय पेंटिंग कार्य।		
v	माण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत अनुसूचित जनजातिय आवासीय विद्यालय, माण्डू का आवश्यकतानुसार छात्रावास निर्माण कार्य।		
vi	माण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) माण्डू का चाहरदिवारी निर्माण कार्य.।		
vii	राजकीय अनुसूचित जनजातिय आवासीय विद्यालय, माण्डू एवं राजकीय अनुसुचित जनजातिय बालिका आवासीय विद्यालय, गोला में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन।		
viii	रामगढ़ जिले के सभी विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों/स्वास्थ्य केन्द्रो/स्वास्थ्य उपकेन्द्रो/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शौचालय, पेयजल, विद्युतीकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अनुमोदन।		
ix	रामगढ़ जिले के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदन।		
x	रामगढ़ जिले में नये विशेषज्ञ चिकित्सकों/चिकित्सा पदाधिकारियों/पारा मेडिकल स्टॉफ की बहाली का अनुमोदन।		
xi	रामगढ़ जिला स्तरीय मिट्टी जाँच केन्द्र हेतु जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने का अनुमोदन।		
xii	रामगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय रामगढ़ को Model विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु Renovation कार्य का अनुमोदन।		
xiii	MTC अन्तर्गत पोषाहार वितरण हेतु विभागीय आवंटन के अतिरिक्त आवश्यक व्यय का भुगतान DMFT मद से कराने के प्रस्ताव के अनुमोदन।		
xiv	माण्डू प्रखण्ड अन्तर्गत बड़गांव उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शौचालय/पेयजल/बिजली एवं Renovation कार्य।		

समीक्षोपरान्त उर्पयुक्त 14 योजनाओं को न्यास द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि इनके कार्यान्वयन हेतु DPR/प्राक्कलन प्राप्त कर योजना क्रियान्वयन की दिशा में

अग्रेतर कार्रवाई की जाय। साथ ही, आगामी प्रबंधकीय समिति एवं न्यास परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

14. **योजनाओं की समीक्षा**

DMFT अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा के क्रम में गोला मार्केट का विकास कार्य एवं कुजू मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य ससमय पूरा करने का निदेश दिया गया। साथ ही, निदेशित किया गया कि यदि कोई व्यवधान हो तो स्थानीय स्तर पर आवश्यक बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों/जनप्रतिनिधियों से Feed Back प्राप्त कर अविलम्ब कार्य पूरा करें।

15. **अन्यान्य**

i. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा जानकारी दी गयी कि आवश्कतानुसार योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि वन विभाग से Forest Clearance की आवश्यकता हो, तो योजना क्रियान्व्यन से पूर्व Forest Clearance प्राप्त कर लिया जाय।

ii. माननीय सासंद महोदय द्वारा DMFT अन्तर्गत कराये गये कार्यों का Social Audit एवं योजनाओं का Geo Tagging करने हेतु निदेश दिया गया।

iii. अध्यक्ष, जिला परिषद्, रामगढ़ द्वारा गोला प्रखण्ड अन्तर्गत भैरवा जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया। इस पर न्यास द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष, जिला परिषद्, रामगढ़ को अनुसंशा एवं भैरवा जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने संबंधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कहा गया, ताकि उसपर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

iv. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DMFT न्यास परिषद् द्वारा अनुरोध किया गया कि वैसी जन अकांक्षी एवं जनोपयोगी योजनाएँ, जिनके लिए अन्य कोई मद से राशि की उपलब्धता न हो, वैसी योजनाओं को जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसा सहित उपलब्ध कराया जाय, साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि कोई शिकायत हो तो अविलम्ब लिखित सूचना साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़।	जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़।	सिविल सर्जन, रामगढ़।
ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह–सचिव, DMFT, न्यास परिषद्, रामगढ़।	वन प्रमण्डल पदा0, रामगढ़।	पुलिस अधीक्षक, रामगढ़।	उपायुक्त–सह–अध्यक्ष DMFT, न्यास परिषद्, रामगढ़

ज्ञापांक 710 /जि0यो0 रामगढ़, दिनांक 23/12/2020

प्रतिलिपिः– PMU, DMFT, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी संबंधित माननीय जनप्रतिनिधियों को सूचनार्थ समर्पित।

23/12/2020

उप विकास आयुक्त–सह–सचिव,
DMFT, न्यास परिषद्, रामगढ़।